३५

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

47/2023/2253 शंभूसिंह बनाम सदाकंवर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/47 श्री आर. एम. ... श्री ...	

13.2.23

शंभू सिंह बनाम सदाकंवर वगैरह (47/2023)

पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 06) को स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.02.2023 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिसका सिजरा खानदान भी प्रस्तुत किया गया था। विवादित आराजी खाता संख्या 437 के खसरा नम्बर 5422/890, 874, 875, 887, 888, 940 लगायत 943 कुल किता 09 रकबा 2.3200 है0 वाके ग्राम साखून तहसील दूदू में स्थित हे जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 06 के नाम से दर्ज चली आ रही है जबकि मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार है। विवादित आराजी का पर्चा सैटलमेन्ट विभाग से रामसिंह पुत्र सबल सिंह के नाम से पर्चा जारी किया गया था। रामसिंह, श्योदान सिंह का लड़का रहा है जो सबल सिंह के गोद जा चुका है बरवक्त पर्चा आराजी में श्योदान सिंह 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त था लेकिन पर्चा गलत रूप से आ गया। वरक्त पर्चा सैटलमेन्ट रामसिंह, सबल सिंह के गोद गए थे जो जमाना जागीर का समय था इसलिए सबल सिंह की आराजी का पर्चा जोर सिंह के नाम से प्राप्त हुआ था जबकि वरक्त पर्चा सैटलमेन्ट 1/2 हिस्से पर श्योना सिंह काबिज काश्त ले लेकिन श्योदान सिंह अपने ही लड़के रामसिंह के नाम पर्चा आ जाने से विश्वास में रहे कि 1/2 हिस्से की आराजी कभी भी रामसिंह वापस नाम करवा देगा। मौके पर काबिज काश्त है पुत्र होने से विश्वास कर लिया। विवादित आराजी वर्णित पैरा संख्या 02 में व अन्य में जोर सिंह व सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1लगायत 05 सामूहिक रूप से 1/2 हिस्से पर काश्त करते रहे है इस दरमियान रामसिंह फौत हो गए। सभी भाईयो की सहमति से स्व. रामसिंह की विरासत का नामान्तकरण मूल सिंह के नाम दर्ज किया गया।जिसमें 1/2 हिस्सा खुलवाये जाने के आश्वासन पर ही नामान्तकरण खोलने दिया था। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई विवाद नहीं रहा। सभी भाई आपस में शांति से रहते हुए, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 06 के मध्य पारिवारिक अनबन हुई। गलत इन्द्राज की जानकारी पर सभी भाईयो ने अप्रार्थी संख्या 06 को समझाने का प्रयास किया फिर भी आराजी नामा नहीं लगायी। प्रार्थी ने दिनांक 02.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 06 से आराजी दुरूस्त कराने को कहां तो अप्रार्थी संख्या 06 नाराज होकर आराजी को बैचान करने की धमकी दी। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर, दिनांक 11.01.2023 को अन्तरिम स्थगन पारित नहीं कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलांट ने अपने वाद को पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्ड से साबित किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नही है, जो विधि सम्मत नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र

लगातार

पंकज मनोज शर्मा (आर.ए.एस.), अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ... श्री ...	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार		

स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 437 के खसरा नम्बर 5422 / 890, 874, 875, 887, 888, 940 लगायत 943 कुल किता 09 रकबा 2.3200 है0 वाके ग्राम राखून तहसील दूदू में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न स्वयं करे, न अन्य से करावे, न विवादित आराजीयात से बेदखल करें, न विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विक्रय इत्यादि करें, न हस्तातंरण करे, न विवादित भूमि को किसी को स्थानान्तरिम करे,तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 06)ने दौराने जवाब / बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर, दिनांक 11.01.2023 को अन्तरिम स्थगन पारित नहीं कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो चलने योग्य नही है। प्रार्थी / अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बावत् चाराजोही करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई हैं। विवादित आराजी में 1 / 2 हिस्सा मूल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं तथा एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी / अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्टस के नाम है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी / अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील को इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 11.01.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.01.2023 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थीगण को जारी नोटिस लौटकर नहीं आने से पूर्व ही अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जबकि प्रार्थी / अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश पारित नहीं करने के विरूद्ध प्रार्थना पत्र एव दस्तावेजात प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेपित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अंस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अभिभाषक उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.03.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

132
श्री आर. एस. चंगोरात
एड. ने अपील पेश की
अपील वाद जॉल रिपोर्ट
टेकर पेशहो

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
25/11/23

कैम्प कोर्ट, दूदू जिला जयपुर राज0

राजस्व अपील संख्या 47/23 (2023/477)

शम्भू सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह जाति राजपूत निवासी सिपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

-- अपीलार्थी

बनाम

1. सदा कंवर पत्नी बोदू सिंह पुत्री जोर सिंह जाति राजपूत निवासी सिपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
2. रामकंवर पत्नी कान सिंह पुत्री जोर सिंह जाति राजपूत निवासी सिपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
3. उम्मेद सिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी सिपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
4. मोहन सिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी सिपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
5. दशरथ सिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी सिपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
6. मूल सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी सिपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
7. रघुवीर सिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी सिपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
8. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

शम्भूसिंह

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश माननीय उपखण्ड अधिकारी, दूदू
दिनांक 11/01/2023, प्रार्थना-पत्र संख्या 05/2023
उनवानी शम्भू सिंह बनाम सदा कंवर वगैरह

श्रीमानजी,

अपीलाण्ट की ओर से अपील निम्न तथ्यों के साथ सादर प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक वाद व प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनका सिजरा खानदान निम्न प्रकार से है-

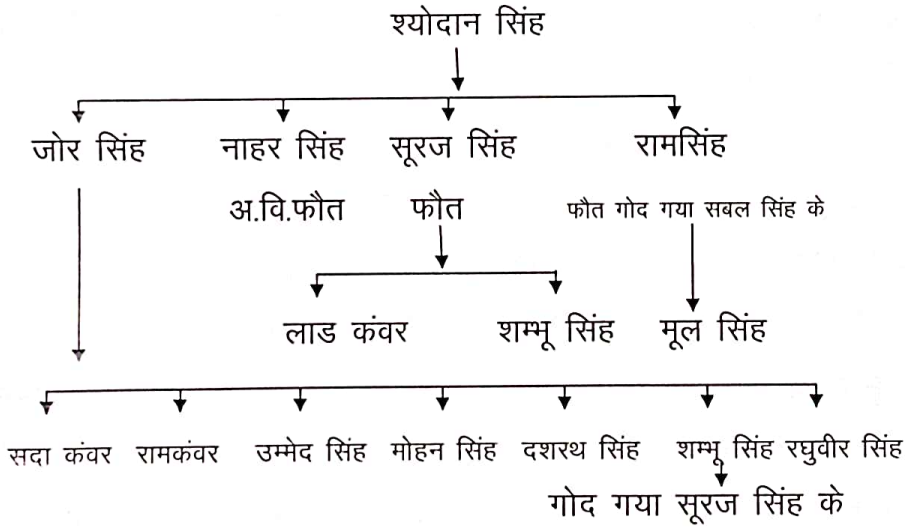

यह कि विवादित आराजी खाता संख्या 437 के खसरा नम्बर 5422/890, 874, 875, 887, 888, 940 लगायत 943 कुल किता 09 कुल रकबा 2.3200 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम साखून तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से दर्ज चली आ रही है जबकि मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार है। विवादित आराजी का पर्चा सैटलमेंट विभाग से रामसिंह पुत्र सबल सिंह के नाम से

शम्भू सिंह